

MSP/Dir - 1275  
24/3/14

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF REVENUE)  
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

New Delhi, the 21<sup>st</sup> March, 2014

**NOTIFICATION**  
**INCOME-TAX**

S.O. — In exercise of the powers conferred by section 295 read with section 35CCC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (3<sup>rd</sup> Amendment) Rules, 2014.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Income-tax Rules, 1962,—

(a) for rule 6AAD, the following rule shall be substituted, namely:—

**“6AAD. Guidelines for approval of agricultural extension project under section 35CCC. —**

(1) The agricultural extension project shall be considered for notification if it fulfils all of the following conditions, namely:—

- (i) the project shall be undertaken by an assessee for training, education and guidance of farmers;
- (ii) the project shall have prior approval of the Ministry of Agriculture, Government of India; and
- (iii) an expenditure (not being expenditure in the nature of cost of any land or building) exceeding the amount of twenty-five lakh rupees is expected to be incurred for the project.

(2) Before undertaking any agricultural extension project, an assessee shall make an application in Form No.3C-O to the Member (IT), Central Board of Direct Taxes for notification of such project under sub-section (1) of section 35CCC.

(3) The application referred to in sub-rule (2) shall be accompanied by the following, namely:—

- (a) a detailed note on the agricultural extension project to be undertaken by the assessee;
- (b) details of the expenditure expected to be incurred on the project and expected date of completion of the project; and
- (c) a letter approving the project and specifying the amount of expenditure expected to be incurred on the project from the Ministry of Agriculture, Government of India.

(4) Where any defect is noticed in the application referred to in sub-rule (2) or a relevant document is not attached thereto, the Central Board of Direct Taxes shall, before the expiry of one month from the date of receipt of the application in its office, intimate the defect to the applicant for its rectification.

Ms. Leake  
25/3/14

(5) The applicant shall remove the defect within a period of fifteen days from the date of such intimation or within such further period as may be extended by the Central Board of Direct Taxes, on an application made in this behalf by the applicant, so however, that the total period for removal of defect does not exceed thirty days, and if the applicant fails to remove the defect within such period as allowed, the Central Board of Direct Taxes shall pass an order treating the application as invalid.

(6) If the application form is complete in all respects, the Central Board of Direct Taxes shall, within a period of one month from the end of the month in which it receives the application form complete in all respects, issue under sub-section (1) of section 35CCC, a notification in Form No.3CP to be published in Official Gazette specifying the agricultural extension project, subject to the conditions mentioned in rule 6AAE or such other conditions, as it may deem fit, to be effective for such period not exceeding three assessment years.

(7) The assessee, may, atleast two months before the expiry of the effective period of the notification issued under sub-rule (6), make an application to the Central Board of Direct Taxes for notification of such project for a further period.

(8) The Central Board of Direct Taxes shall, after receiving the application under sub-rule (7), call for a report from the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, having jurisdiction over the case regarding the activities of the agricultural extension project during the period of notification and fulfillment of conditions mentioned in rule 6AAE and any other conditions subject to which the agricultural extension project was notified under sub-rule (6).

(9) On being satisfied with the report received under sub-rule (8) on the agricultural extension project, the Central Board of Direct Taxes may, within a period of three months from the end of the month in which it receives application referred to in sub-rule (7), notify the said project for a further period not exceeding three assessment years.

(10) A copy of the notification issued under sub-rule (6) or, as the case may be, under sub-rule (9) shall be sent to the applicant, the Ministry of Agriculture, Government of India, the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, the Department of Agriculture of the concerned State and the Agricultural Technology Management Agency of the concerned District.

(11) The Central Board of Direct Taxes may, on being satisfied that the assessee has ceased its activities, or that its activities are not genuine or that its activities are not being carried out in accordance with all or any of the relevant provisions of the Act or this rule or rule 6AAE, or its activities are not being carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which the notification was issued, pass an order for rescission of the notification issued under sub-rule (6) or sub-rule (9).

(12) Before any order is passed treating the application as invalid or rejecting it or rescinding the notification, an opportunity of being heard in the matter shall be given to the assessee.

(13) A copy of the order invalidating or rejecting the application or rescinding the notification shall be sent to the applicant, the Ministry of Agriculture, Government of India, the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, the Department of Agriculture of the concerned State and Agricultural Technology Management Agency of the concerned district.”;

(b) in rule 6AAE,—

(i) in sub-rule (2), for the words, brackets, figures and letters "notification issued under sub-rule (10) or sub-rule (11) of rule 6AAD", the words, brackets, figures and letters "notification issued under sub-rule (6) or sub-rule (9) of rule 6AAD" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (7), for the words, brackets, figures and letters "for appropriate action as per the provisions of sub-rule (13) of rule 6AAD", the words, brackets, figures and letters "for appropriate action as per the provisions of sub-rule (11) of rule 6AAD" shall be substituted.



(J. Saravanan)

Under Secretary (TPL)

[Notification No. 18/2014, F.No.133/3/2014-TPL]

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number S.O. 969(E), dated the 26<sup>th</sup> March, 1962 and last amended vide notification number S.O no. 835(E), dated the 20<sup>th</sup> March, 2014.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2014

अधिसूचना

आय-कर

का.आ. (अ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35गगग के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2014 है ।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. आय-कर नियम, 1962 में,—
  - (क) नियम 6ककघ के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“6ककघ. धारा 35गगग के अधीन कृषि विस्तार परियोजना के अनुमोदन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत,—

    - (1) किसी विस्तार परियोजना को अधिसूचित करने पर विचार किया जाएगा, यदि वह निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करती है, अर्थात् :-
      - (i) किसी निर्धारिती द्वारा परियोजना, कृषकों के प्रशिक्षण, शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए चलाई जाएगी ;
      - (ii) परियोजना, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्व अनुमोदित होगी ; और
      - (iii) परियोजना के लिए उपगत कोई संभावित व्यय (भूमि और भवन की लागत की प्रकृति के व्यय नहीं होंगे) पच्चीस लाख रुपए से अधिक की रकम व्यय होगी ।
    - (2) कोई निर्धारिती किसी कृषि विस्तार परियोजना प्रारंभ करने से पहले धारा 35गगग की उपधारा (1) के अधीन ऐसी परियोजना की अधिसूचना के लिए सदस्य (आईटी) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, को प्ररूप 3ग-ण में आवेदन करेगा ।
    - (3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन निम्नलिखित के साथ होगा, अर्थात् :-
      - (क) निर्धारिती द्वारा चलाई जा रही कृषि विस्तार परियोजना पर विस्तृत टिप्पण ;

(ख) परियोजना पर उपगत होने वाले संभावित व्यय के ब्यौरे और परियोजना पूर्ण होने की संभावित तारीख ; और

(ग) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से परियोजना का अनुमोदन और परियोजना पर उपगत होने वाले संभावित व्यय की रकम को विनिर्दिष्ट करने वाला पत्र ।

(4) जहाँ उपनियम (2) में, विनिर्दिष्ट आवेदन में किसी त्रुटि की अपेक्षा है या कोई सुसंगत दस्तावेज उपाबद्ध नहीं है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपने कार्यालय में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के अवसान से पूर्व आवेदक को त्रुटि को दूर करने के लिए सूचना देगा ।

(5) आवेदक ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जो आवेदक द्वारा इस निमित्त किए गए किसी आवेदन पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा विस्तारित की जाए, तथापि, त्रुटि दूर करने के लिए ऐसी कुल अवधि तीस दिन से अधिक नहीं होगी और यदि आवेदक ऐसी अनुज्ञात अवधि के भीतर त्रुटि दूर करने में असफल रहता है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आवेदन को अविधिमान्य मानते हुए आदेश पारित करेगा ।

(6) यदि आवेदन प्ररूप सभी पहलुओं से पूर्ण है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एक मास की अवधि के भीतर जिसको सभी पहलुओं से पूर्ण आवेदन प्ररूप की प्राप्ति होने के मास के अंत में धारा 35गग की उपधारा (1) के अधीन कृषि विस्तार परियोजना को विनिर्दिष्ट करते हुए राजपत्र में, नियम 6ककड में वर्णित शर्तों या ऐसी अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह उचित समझे, प्ररूप संख्यांक गत में अधिसूचना जारी करेगा, जो तीन निर्धारण वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रभावी नहीं होगी ।

(7) निर्धारित उपनियम (6) के अधीन जारी अधिसूचना के प्रभावी अवधि की समाप्ति से कम से कम दो मास पूर्व किसी और अवधि के लिए ऐसी परियोजना की अधिसूचना के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को आवेदन कर सकेगा ।

(8) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड उपनियम (7) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के पश्चात्, नियम 6ककड में वर्णित शर्तों के पूर्ण होने तथा कोई अन्य शर्तों के अधीन, जो उपनियम (6) के अधीन कृषि विस्तार परियोजना में अधिसूचित की गई थी, अधिसूचना की अवधि के दौरान कृषि विस्तार परियोजना के क्रियाकलापों के संबंध में मामले पर अधिकांशिता रखने वाले, यथास्थिति, आयुक्त, आय-कर या निदेशक, आय-कर से रिपोर्ट मांगेगा ।

(9) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कृषि विस्तार परियोजना पर उपनियम (8) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट का समाधान हो जाने पर मास के अंत से, जिसको उपनियम (7) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होता है, तीन मास की अवधि के भीतर तीन निर्धारण वर्ष से अनधिक किसी और अवधि के लिए उक्त परियोजना को अधिसूचित कर सकेगा ।

(10) यथास्थिति, उपनियम (6) के अधीन या उपनियम (9) के अधीन जारी अधिसूचना की प्रति आवेदक, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, यथास्थिति, आयुक्त, आय-कर या निदेशक, आय-कर, संबद्ध राज्य के कृषि विभाग और संबद्ध जिले के कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण को जारी की जाएगी ।

(11) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का यह समाधान हो जाने पर कि निर्धारिती ने अपने क्रियाकलापों को रोक दिया है या उसके क्रियाकलाप वास्तविक नहीं है या अधिनियम के सभी या किन्हीं सुसंगत उपबंधों या इस नियम या नियम 6ककड के अनुसार नहीं चलाए जा रहे हैं या ऐसी किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए, जिसमें अधिसूचना जारी की गई थी, उपनियम (6) या उपनियम (9) के अधीन अधिसूचना के विखंडन के लिए आदेश पारित कर सकेगा।

(12) आवेदन अविधिमान्य या नामंजूर या अधिसूचना को विखंडित समझे जाने के किसी आदेश पारित करने से पहले निर्धारिती को मामले में सुनवाई का अवसर देना होगा।

(13) आवेदन को अविधिमान्य या नामंजूर या अधिसूचना को विखंडित करने के आदेश की प्रति आवेदक को आवेदक, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, यथास्थिति, आयुक्त, आय-कर या निदेशक, आय-कर, संबद्ध राज्य के कृषि विभाग और संबद्ध जिले के कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण को भेजी जाएगी।

(ख) नियम 6ककड में,—

(i) उपनियम (2) में, “नियम 6ककघ के उपनियम (10) या उपनियम (11) के अधीन जारी अधिसूचना” शब्दों, अक्षरों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “नियम 6ककघ के उपनियम (6) या उपनियम (9) के अधीन जारी अधिसूचना” शब्द, अक्षर, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (7) में, “नियम 6ककघ के उपनियम (13) के उपबंधों के अनुसार संक्षिप्त कार्यवाही” शब्दों, अक्षरों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “नियम 6ककघ के उपनियम (11) के उपबंधों के अनुसार संक्षिप्त कार्यवाही” शब्द, अक्षर, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

ज. सरवनन

(जे. सरवनन)

अवर सचिव (टीपीएल)

[अधिसूचना सं. .].४.../2014 फा.सं. 133/3/2014-टीपीएल]

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन का.आ. सं0 835(अ) तारीख 20 मार्च, 2014 द्वारा किया गया।